




राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर
क्रमांक - ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2019/ दिनांक

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत विंत्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री रणजीत सिंह चौहान, कनिष्ठ सहायक, अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,(प.क.) डूंगरपुर जिनकी राज्य सेवा मे प्रथम नियुक्ति तिथि 09.03.2017 है तथा दिनांक 08.03.2019 को दो वर्ष की परीक्षाकाल अवधि पूर्ण करली है तथा कार्मिक द्वारा दिनांक 06.06.2017 को आरएससीआईटी एवं दिनांक 04.06.2018 को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करली है को परीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 09.03.2019 से रूपये 20800(लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए एतद द्वारा स्थाई किया जाता है।


(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 23/04/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2019/937

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।
- 2 अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,(प क) डूंगरपुर।
- 3 श्री रणजीत सिंह चौहान, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
- 4 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 5 आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान, जयपुर